न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2020 G.C.M.S. No. 2020/00230 दर्ज दिनांक : 12.10.2020

अपीलार्थिगण:

1. कंचन पत्नि भंवरूखां
2. छोटू पुत्र भंवरूखां
3. मोहम्मद मुस्ताक पुत्र भंवरूखां
4. अल्लादीन पुत्र भंवरूखां
5. शेरू मोहम्मद पुत्र भंवरूखां जाति तेली मुसलमान निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जंवरू पुत्र अब्दुल मोहम्मद
2. रसीद पुत्र अब्दुल मोहम्मद
3. सलाम पुत्र अब्दुल मोहम्मद, जातियान तेली मुसलमान निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 173/2019 बअनवान कंचन वगैरह बनाम जंवरू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री श्याम सिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 25.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 173/2019 बअनवान कंचन वगैरह बनाम जंवरू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1120 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 1092/1 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा जो सरहद मौजा लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित है। अपीलांट्स वादीगण उक्त कृषि भूमि को रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 जो प्रदर्श 1 है, से पूर्ण रूप से साबित है। साथ ही धारा 188 आर टी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि एक रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार अपनी आराजी के उपयोग–उपभोग करें, फसल बोऐ व फसल से सम्बन्धित कार्य करें, उसमें कोई अन्य

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति बाधा अड़चन पैदा करें, हस्तक्षेप करें, बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां देता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी हकदार होता है। इस प्रकरण में अपीलान्ट्स वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकर है और रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के न तो खतेदार है, न ही सहखातेदार है और न ही रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण के कोई हक अधिकार आर. टी. एक्ट के तहत वादग्रस्त आराजी में निहित है। फिर भी रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण अपीलान्ट वादीगण को उनकी खातेदारी की वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा अड़चन पैदा कर रहे हैं व बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां दी गई तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट वादीगण के पक्ष में व रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जानी चाहिये थीं। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय उक्त कानूनी प्रावधान व राजस्व रेकर्ड को अनदेखा कर भारी वाक्याती एवं कानूनी भूल कर जैर अपील डिक्री व निर्णय पारित किया है, जो काबिल अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्ट बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस प्रकार इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। इसलिए अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके गवाहान के सशपथ बयानों का कोई खण्डन एवं विरोध प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्ट ने नहीं किया। जबकि कानून का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि जहां पर प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्य का जवाबदावा, साक्ष्य से खण्डन व विरोध नहीं किया जाता है, वहां पर वादीगण के वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर दावा वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री व निर्णित किया जाना चहिए। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत जाकर मनमाने ढ़ंग से विधिविरूद्ध जैर अपील डिक्री व निर्णय पारित किया, जो काबिल अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2020 के निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया

Scanned with OKEN Scanner

गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.10.2020 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से इस अवधि में कोविड–19 महामारी के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। हमारे विनम्र मत में मार्च 2020 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि कोविड–19 महामारी से प्रभावित रही हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अपीलांट वादीगण की साक्ष्य ली जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वस्तुतः वादीगण द्वारा वादपत्र साक्ष्य से साबित करने में असफल रहने के आधार पर वादपत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय को यह विश्वास करने का यह पर्याप्त कारण हों कि वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर अतिचार या क्षति कारित करने की प्रबल आशंका विद्यमान हों, ताकि इसके निवारण के लिए स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें।

3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि वह वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा इस कारण उसे स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। जिस पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की हैं, के संबंध में हमारा विनम्र मत है कि यह सही है कि उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलांट वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। लेकिन केवल इस मात्र इस आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सारवान रूप से साक्ष्य से यह साबित करना आवश्यक है कि किस प्रकार प्रतिवादीगण से उनकी आराजीयात को क्षति कारित होने की प्रबल आशंका विद्यमान है। जिसके निवारण के लिए स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें। अपीलांट वादीगण साक्ष्य से ऐसा साबित करने में असफल रहे हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधिसम्मत व उचित है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner